न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2023/92

उनवान

1. झन्डू सिंह पुत्र पदम सिंह जाति फौजदार निवासी ग्राम सहारई तहसील डीग जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. खूटी उर्फ खूवी पुत्र रामजीलाल ग्राम सहारई तहसील डीग जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. जोतराम पुत्र खूटी उर्फ खूबी
   1/2. भूदेव पुत्र खूटी उर्फ खूबी
   जाति जाट निवासी सहारई तहसील डीग।
   1/3. सुखवीरी पुत्री खूटी उर्फ खूबी पत्नि जोगेन्द्र
   1/4. महावीरी उर्फ लाली पुत्री खूटी उर्फ खूबी पत्नि सुरेन्द्र
   जाति जाट निवासी ग्राम सोनगा तहसील किरावली जिला आगरा।
2. देवी सिंह पुत्र रामजीलाल जाति फौजदार निवासी ग्राम सहारई तहसील डीग जिला भरतपुर।
3. पंजाब नेशनल बैंक खाखा जनूथर तहसील डीग।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग दि0 12.12.2017 मि.नं. 188/10 उनवानी झन्डू सिंह बनाम खूटी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज भूषण उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–18.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.13 एयर वाके ग्राम सहारई तहसील डीग में स्थित है, जो कि साविक आराजी खसरा नम्बर 613 मिन 0.12 विस्वा गुलवी पुत्र बलराम जाति फौजदार निवासी सहारई तहसील डीग के कब्जे काश्त व खातेदारी का एवं खसरा नम्बर 613 मिन 14 विस्वा वाके ग्राम सहारई तहसील डीग पदम सिंह व तुरसी पिसरान फत्ते जाति फौजदार निवासी सहारई तहसील डीग के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी। गुलवी पुत्र बलराम फौजदार निवासी सहारई ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी के साविक खसरा नम्बर 613 मिन 15 विस्वा को वादी को जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 24.01.1985 को विक्रय कर मौके पर वादी को वास्तविक दखल व कब्जा दे दिया और वादी तभी से उक्त रकवा को वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साविक आराजी खसरा नम्बर 613 रकवा 01 बीघा 9 विस्वा से नवीन आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.13 एयर व खसरा नम्बर 616 रकवा 0.13 बनाये थे। किन्तु सहवन से मिलान क्षेत्रफल में नवीन खसरा नम्बर 615 रकवा 0.13 एयर को गलती से साविक खसरा नम्बर 611 मिन रकवा 0.00 एयर से बनना दर्शाते हुये उक्त मिलान क्षेत्रफल के आधार पर जमाबन्दी में आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.13 एयर पर विला इल्म वादी पोशिदा तरीके पर भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियों से मिल कर प्रतिवादी संख्या 02 ने कागजात राजस्व में अपने नाम खातेदार की प्रविष्टियॉ व हिस्सा बराबर–बराबर करा ली है, जो कतई गलत खिलाफ मौका व कब्जा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.13 है0 पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अभिभाषक अपीलाण्ट ने प्रकरण में रैस्पो0 से राजीनामा होना अवगत कराया। अभिभाषक अपीलाण्ट को राजीनामा प्रस्तुत करने/बहस करने हेतु कई अवसर दिये गये। परन्तु उनके द्वारा ना तो राजीनामा ही प्रस्तुत किया एवं ना ही प्रकरण में बहस हेतु सहमत हुये। अतः प्रकरण वास्ते निर्णय अभिभाषक अपीलाण्ट की लिखित बहस को सुरक्षित रखते हुये रखा गया। परन्तु अभिभाषक अपीलाण्ट ने ना तो कोई बहस की एवं ना ही कोई लिखित बहस ही प्रस्तुत की गयी। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय रखी गयी।

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2028–31 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 613 मिन रकवा 15 विस्वा पर ग्यासी पुत्र बलराम अन्य मजकूरान नम्बरान पर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं तथा इसी संवत की जमाबन्दी के खाता संख्या 56 में साविक खसरा नम्बर 613 रकवा 14 विस्वा पर अन्य नम्बरान पर पदम सिंह व तुरसी पुत्र फत्ते कौम फौजदार सा0 देह खातेदार वहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2010 साविक खसरा नम्बर 611 मिन रकवा 7 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 614 रकवा 0.05 व 611 मिन रकवा शून्य से नवीन खसरा नम्बर 615 रकवा 0.13 व साविक खसरा नम्बर 613 रकवा 01 बीघा 9 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 616 रकवा 0.13 है0 बनाये गये हैं। वादी अपीलाण्ट ने हाल खसरा नम्बर 615 रकवा 13 एयर पर अपनी खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। जबकि वादी अपीलाण्ट द्वारा साविक खसरा नम्बर 613 रकवा 15 विस्वा को खरीद किया है। जिसका हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 616 रकवा 13 एयर दर्ज होना अंकित है। जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता संख्या 53 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 616 रकवा 13 एयर के हिस्सा 15/29 यानि लगभग 7 एयर रकवा पर वादी अपीलाण्ट की खातेदारी दर्ज होना स्पष्ट है, तो वादी अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 615 पर किस प्रकार खातेदारी दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सुस्पष्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना उपरान्त पारित हुआ है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

4. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2017 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर